अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३
	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा भूमि विवाद अपील वाद संख्या 201 /2012 देव नन्दन साह — अपीलार्थी वनाम बम बहादुर साह एवं अन्य — प्रत्यर्थीगण प्रस्तुत अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरीबख्तियारपुर द्वारा वाद संख्या 38/2010 देव नन्दन साह बनाम बम बहादुर साह वगैरह में दिनांक 18.04,.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलार्थी का कथन यह कि यह भूमि विवाद अपील वाद भू–स्वामित्व हासिल करने हेतु दायर किया गया है उक्त प्रश्नगत भूमि केबाला भूमि है जिसे परिलाल साह पिता– स्व० बौचाय साह एवं मसो० यशोधा देवी पति– स्व० सुवदन साह से देव नंदन साह पिता–स्व० मिठु साह द्वारा क्रय किया गया जिसकी केबाला तिथि 23.10.1989 है। क्रयित भूमि केबालेदार देव नंदन साह अपीलार्थी/वादी के स्वामित्व में है। यह कि क्रेता देव नंदन साह द्वारा बिहार सरकार सिरिश्ता में अपने नाम से दाखिल खारिज करवा कर रसीद प्राप्त किया गया एवं जमाबंदी संख्या–1240 चलती है। यह कि वरीय उपसमाहर्त्ता सिमरी बख्तियारपुर द्वारा देवनन्दन साह, एवं वमवहादुर साह, के बीच सी०आर०पी०सी० की धारा 144 के	

अन्तर्गत दायर वाद संख्या 84/2010 में दिनांक 11.05.10 को देवनन्दन साह, के पक्ष में आदेश पारित किया गया।

यह कि देवनन्दन साह, एक वृद्ध व्यक्ति हैं एवं वे तथा उनके रिश्तेदार प्रश्नगत विवादित भूमि के कारण काफी परेशान रहते हैं।

यह कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर के द्वारा दिनांक 18.04.2012 को पारित आदेश विधि संगत नहीं है।

यह कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा वाद संख्या 38/10 में दिनांक 18.04.12 को पारित उपरोक्त आदेश से क्षुब्ध एवं असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह वाद दायर किया गया है एवं अभिलेखों की मॉग करने, दोनों पक्षों की सुनवाई एवं प्रतिवेदनों के अवलोकनोपरांत उपरोक्त भ्रामक आदेश को निम्नलिखित आधार पर निरस्त/रद्ध कर उपयुक्त एवं अनुकूल आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

1. यह कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्य से परे एवं विधि संगत नहीं है।

2. यह कि माननीय निम्न न्यायालय द्वारा विधि के सुसंगत प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है।

3. यह कि प्रश्नगत भूमि, अपीलार्थी की केबाला भूमि है एवं रसीद अपीलार्थी के नाम से चलती है तथा प्रत्यर्थियों द्वारा गलत तरीके से रास्ते की मांग की गई है।

4. यह कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के बीच किसी भी प्रकार का बदलानामा नहीं है एवं कोई भी पंचनामा क्रियान्वित नहीं है।

5. यह कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि–" सभी विधिजन्य तथ्यों एवं परिस्थितिजन्य तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने से न्यायालय का स्पष्ट मत बनता है कि विवादी प्रश्नगत खेसरा का विवादित रकवा 7 धूर भूमि रास्ता के रूप में वर्त्तमान में व्यवहृत है एवं आवेदक द्वारा विवादी खेसरा पर अपने दावा को निबंधित दस्तावेज में प्रस्तुत किया गया।"

6. यह कि माननीय निम्न न्यायालय द्वारा विवादित प्रश्नगत भूमि को अपीलार्थी की केबाला भूमि माना गया है।

7. यह कि प्रश्नगत भूमि रैयती भूमि है।

8. यह कि माननीय निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों एवं विधि के नियमों पर विचार नहीं किया गया एवं प्रश्नगत भूमि का प्रत्यर्थी की भूमि होने का कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, अतएव प्रश्नगत भूमि पर दखल सर्वथा गलत एवं अवैधानिक है।

9. यह कि माननीय निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में अपीलार्थी द्वारा दायर अपील वाद को निरस्त कर दिया गया एवं प्रेक्षण भी गलत एवं अवैधानिक है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख पर उपलब्ध कागजात का अवलोकन किया।

यह पाया गया कि निम्नन्यायालय में उभय पक्ष के दाखिल अर्जी दावा एवं उत्तर प्रत्युत्तर तथा बहस सुनने के उपरांत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बख्तियारपुर द्वारा अंचल अधिकारी से स्थल जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है तथा उक्त प्रतिवेदन में कतिपय सूचना का अभाव की स्थिति में प्रश्नगत भूमि पर कौन कौन दखलकार है, चौहदी एवं भौतिक स्थिति की मांग अंचल अधिकारी से किया गया एवं अंचल अधिकारी सिमरीबख्तियारपुर के पत्रांक 672–2 दिनांक 22.07.11 द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आवेदक द्वारा घोर विरोध उत्पन्न करने की स्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा स्वयं भी स्थल जॉच दिनांक 08.08.11 को किया गया एवं सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का अधिकार एवं दखल के प्रमाणिकता के अभाव में तथा आवेदक के कागजी प्रमाण से स्वत्व का प्रश्न सन्निहित होने के कारण उक्त अर्जी का दावा अस्वीकृत किया गया है तथा आवेदक को सक्षम व्यवहार न्यायालय में अपना दावा प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र किया गया है, जो सही प्रतीत होता है।

वर्णित परिस्थितियों में अपील वाद को अस्वीकृत करते हुए इस अपील आवेदन की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

19/7/2013
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

19/7/2013
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा